

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी गुडगाँवा ।

आदेश क्रमांक स्था. 3/2001/ 2169-2001

दिनांक; 24/6/2001

विषय: कक्षा पहली से पाँचवी तक स्थाई मान्यता प्रदान करना ।

H/M, Keshav Vidya Vihar Primary School Khor (Gurgaon)

H/M, Keshav Vidya Vihar Primary School Khor गुडगाँवा ।

को कक्षा पहली से पाँचवी तक निम्न शर्तों पर स्थाई मान्यता तुरन्त प्रभाव से प्रदान की जाती है:

1. विधालय में सी०पी०एफ की स्कीम लागू की जाए ।
2. विधालय स्टाफ का वेतन चेक द्वारा दिया जाए ।
3. विधालय के स्टाफ की नियुक्ति के समय आरक्षण को नियमानुसार लागू किया जाए ।
4. संस्था विभाग से किसी भी प्रकार को कोई ग्रांट की मांग नहीं करेगा, और अपने ही खर्च पर विधालय चलाएगी ।
5. विधालय शिक्षा विभाग/हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी की गई समय समय पर हिदायतों का पालन करेगी ।
6. संस्था शिक्षा संहिता 214 से 239 में सभी शर्तों का पालन करेगी ।
7. निर्धारित अवधि के बाद प्रबन्धक कमेटी को विभाग द्वारा अनुमोदित करवाए ।
8. विधालय एक मास के अन्दर डी०पी०डॉ०ओ० के नाम 6 मास के वेतन के बराबर पूरा ज मनी डिपॉजिट 22,000/- जमा करए, एवं कार्यालय को सूचित करे ।
9. विधालय निमित्त कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार सी०डब्ल्यू०पी०नो० 267/99 में मरनीय उच्च न्यायलय वणडो गढ़ द्वारा दी गई हिदायतों का पूर्ण रूप से पालन करे ।

D. D. Verma

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी गुडगाँवा ।

पू० क्र० सम-

इसको एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा वणडो गढ़ ।
2. सर्व जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य ।
3. सर्व उ० ड शिक्षा अधिकारी जिला गुडगाँवा । (Patodi)
4. सु वि० सम्बन्धित विधालय ।
5. अनुभाग अधिकारी प्रिन्सिपल कार्यालय में ।
6. प्रबन्धक हरियाणा रोडवेज गुडगाँवा ।

Keshav Vidya Vihar Sr. Sec. School Khor, Gurugram

District, Primary Edu. office

Handwritten signature/initials


आदेश क्रमांक जी-2-2000/1454-69 दिनांक 14-10-2000


केशव विद्या विहार मिडिल स्कूल, खोड [गुडगर्वा] को निम्नलिखित पत्र तथा को सहायक माध्यम शिक्षण 1-4-2000 से निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से क्लायमेंटलीर ग्रांट इत्यादि की राशि नहीं करेंगे ।
2. विद्यालय की स्थापना शिक्षा बोर्ड की धारा-159 तथा 214 से 239 तक की शर्तों शर्तों को पूर्ण करेंगे ।
3. विद्यालय विभाग द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली विधायकों की पंजाब करेंगे ।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा-4 की शर्तों शर्तों को पूर्ण करेगा तथा उनके जो भी नियम होंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।
5. विद्यालय हरियाणा शिक्षा संहिता के नाम अनुसूचि, छात्र संख्या के आधार पर निर्धारित दर के आधार पर रैड फ्रांस, बाल संस्था तथा स्पोर्ट्स निधि एवं रजिस्ट्रेशन/कोटा मनी वीस प्रत्येक वर्ष का कार्यालय में जमा करायेगा ।
6. विद्यालय/समिति हरियाणा संशोधित शिक्षा संहिता को धारा 17.5 के अनुसार अपडेट करवा कर लेखा प्रशासन रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रति वर्ष प्रस्तुत करेंगे ।
7. पट्टानायक की सम्पत्ति से तीन वर्ष पूर्व भूमि/भवन, स्कूल समिति के नाम करवाना होगा ।
8. विद्यालय में अध्यापकों के वेतन का भुगतान रास बैंक द्वारा किया जायेगा ।
9. विद्यालय में अनुसूचित जाति में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो इस कार्यालय से अनुमोदन करवाना होगा तथा संविधान के अनुसार कार्यवाही करनी होगी ।
10. विद्यार्थियों से आरक्षण नीति का ध्यान रखा जायेगा ।
11. 50 हजार की राशि एक मास के अन्दर जमा करेगा तथा शेष राशि राशि करके चार समान किताबों में जमा करेगा ।

पू: क्रमांक _____ सम: _____ दिनांक: _____ जिला शिक्षा अधिकारी, गुडगर्वा ।

- उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित है :-
1. निदेशक, सिविल शिक्षा हरियाणा, लुडियाना
 2. सचिव, शिक्षण विभाग, शिक्षण विभाग, लुडियाना
 3. सर्व उच्च शिक्षा विभाग, लुडियाना
 4. उप मुखल शिक्षा अधिकारी, गुडगर्वा ।
 5. संशोधित स्कूल मुखिया ।


Principal
Keshav Vidya Vihar Sr. Sec. School
Khor, Gurugram


जिला शिक्षा अधिकारी,
गुडगर्वा ।



OFFICE OF COMMISSIONER & DIRECTOR GENERAL SCHOOL EDUCATION,
HARYANA, CHANDIGARH

ORDER NO. 23/61-07 PS(2)

Dated, Chandigarh The 12-Mar-2008

ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under rule 34 (1) of Haryana School Education, Rules, 2003, sanction is hereby accorded to grant permanent recognition to **Keshav Vidya Vihar Sr. Sec. School, Khor (Gurgaon)** for class 9th to 12th (Arts, Commerce & Science) under BOSE pattern with effect from 01.04.2007 run by Managing Committee, **Baba Johar Wala Shiksha Samiti, Khor, Distt. Gurgaon** under following terms and conditions:-

TERMS & CONDITIONS: -

1. The school shall follow the course of study as per syllabus prescribed by the affiliated board.
2. The school shall charge fees and funds as declared to the appropriate authority at the time of application for recognition and display the same on the notice board of the school and shall not increase the fees during the any academic session. In case of change in the fee structure the school shall inform to the appropriate authority in the month of January for the next academic year and will also issue printed receipt of fees/funds to the students.
3. Salary shall be paid as per declaration at the time of seeking recognition.
4. No capitation fee and other charges shall be charged from the children/parents.
5. School shall be open for admission without any discrimination based on religion, caste, race, place of birth or any other whimsical.
6. Managing Committee shall not allow to run two schools affiliated by different board/council in the same premises.
7. Managing Committee shall not give up on the school during the academic session without the prior approval of the appropriate authority.
8. The school shall be open for inspection for the inspecting officer authorized by the Director/Appropriate Authority.
9. Recognition so granted shall be reviewed after every 10 years.
10. No financial assistance shall be granted by the Department to the school.
11. School premises shall not be used for commercial purpose and anti National activities.
12. Approval of Managing Committee shall be obtained from the appropriate authority in case of any change in the committee.
13. The Managing Committee shall follow the instructions issued by Government/Director from time to time and supply the information to the Govt / Department as required.
14. In addition to above the Managing Committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules, 2003 and amendments if any thereafter. The Managing Committee shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provisions of the rules.
15. school will provide ramp within six months otherwise recognition will stands withdrawn.
16. If any information, at any stage found Contrary to the Facts the recognition would be revoked forthwith.
17. That the number of students in classroom shall not be more than the students calculated on the square feet per student for secondary and Senior Secondary Schools and 9 Square feet per student for elementary state.

ANURAG RASTOGI
COMMISSIONER & DIRECTOR GENERAL SCHOOL EDUCATION
HARYANA, CHANDIGARH

Encls. No. Even

Dated, Chandigarh, the 19-3-2008

A copy is forwarded to the following information and necessary action:

1. Manager, Baba Johar Wala Shiksha Samiti, Khor, Distt. Gurgaon
2. District Education Officer, Gurgaon
3. Secretary, Board of School Education, Bhiwani
4. Principal, Keshav Vidya Vihar Sr. Sec School, Khor (Gurgaon)
5. Additional Deputy Commissioner, Gurgaon
6. Copy of Master

Principal

Keshav Vidya Vihar Sr Sec School
Khor, Gurugram

Mohinder, 10-14-3-08
SUPERINTENDENT PS
FOR COMMISSIONER & DIRECTOR GENERAL
SCHOOL EDUCATION HARYANA
CHANDIGARH